कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/परीक्षा/2010/56

दिनांकः 2 मार्च, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय/गैर अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः विश्वविद्यालय परीक्षा 2011–12 के सफल संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश।

महोदय,

आपको विदित ही है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का शीघ्र आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि वर्तमान सत्र की परीक्षाओं हेतु आपने सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली होंगी। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

1. परीक्षाओं में अनुशासन स्थापित करने की दृष्टि से महाविद्यालय अनुशासन समिति को आवश्यक निर्देश देकर सक्रिय किया जावे।

2. कानून एवं व्यवस्था बनी रहे, इस हेतु जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक/स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर लें एवं निरन्तर सम्पर्क में बने रहे।

3. कॉलेज स्टाफ के अतिरिक्त वीक्षकों की आवश्यकता हो तो जिला शिक्षा अधिकारी/विद्यालयों के संस्था प्रधान से सम्पर्क कर स्कूल शिक्षकों का सहयोग लेने का प्रयास करें। सेवानिवृत्त व्याख्याता, व्याख्याता की पात्रता रखने वाले नवयुवक, प्रयोगशाला सहायकों, मंत्रालयिक एवं लेखा शाखा कर्मचारीयों को भी परीक्षा कार्य में लगा सकते हैं, किन्तु उनका स्नातक होना आवश्यक हैं।

4. प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य निदेशक महोदय की बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोडें। सभी अधिकारी/कर्मचारी संस्था प्रधान की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं करें तथा मुख्यालय भी संस्था प्रधान की पूर्वानुमति के पश्चात् ही छोडें।

5. प्राचार्य/उपाचार्य/केन्द्राधीक्षक/परीक्षा समिति सदस्य, प्रश्न पत्र वाहक से स्वयं प्रश्न पत्र प्राप्त करे एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। रात्रि में भी प्रश्न पत्रों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करें।

6. ग्रीष्मावकाश में वीक्षण कार्य हेतु न्यूनतम संख्या में व्याख्याताओं को रोकने हेतु आदेश अपने स्तर पर जारी करें। इन्हे राजस्थान सेवा नियम 92(बी) के अनुसार उपार्जित अवकाश का लाभ अपने स्तर पर आदेश जारी कर प्रदान करें।

7. परीक्षा संबधी जो भी समस्या महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष आये उसकी तुरन्त जानकारी कार्यालय के परीक्षा नियंत्रण में संयुक्त निदेशक (अकाद) के दूरभाष नम्बर 0141–2706550 पर फैक्स द्वारा प्रेषित करें।

8. स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारीयों के कार्यालय एवं निवास के टेलिफोन नम्बर प्राप्त कर महाविद्यालय में रिकार्ड हेतु रखें एवं एक प्रति निदेशालय को भी फैक्स द्वारा प्रेषित करें।

9. प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य/उपाचार्य के कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नम्बरों तथा फैक्स नम्बर के अतिरिक्त स्वयं के मोबाईल नम्बर भी निदेशालय को तुरन्त प्रभाव से फैक्स द्वारा प्रेषित करें।

10. प्रायः देखा गया हैं कि पर्यवेक्षक कमरों में प्रश्न पत्र आंवटन के पश्चात् स्टाफ रूम में बैठ जाते हैं जो उचित नहीं हैं। अतः परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्था संचालन के लिए आवश्यक हैं कि पर्यवेक्षक परीक्षा की पूर्ण अवधि में अपने निर्धारित कक्षों के सामने ही उपलब्ध रहें। सुपरवाईजर परीक्षा पत्रों को वितरित करने के उपरान्त कक्षा कक्षों के बाहर ही उपलब्ध रहें, जब कोई वीक्षक 15 मिनट हेतु रिलिव होकर जाये तो सुपरवाईजर उस कमरें में वीक्षण हेतु रहें।

11. प्रायः महाविद्यालय की फ्लाईंग स्कावड के सदस्य कक्षा कक्षों की जांच कर स्टाफ रूम या किसी अन्य एक ही स्थान पर बैठ जाते है जिससे किसी भी समय पर अनुशासनहीनता की समस्या

उत्पन्न हो जाती है। अतः फ्लाईंग स्कावड के सदस्य चैकिंग करने के पश्चात् अलग–अलग विंग में वितरित होकर परीक्षा के सफल संचालन को सुनिश्चित करें।

12. परीक्षार्थीयों के परीक्ष केन्द्र में प्रवेश करने से पूर्व ही मुख्य द्वार पर उनकी चैकिंग की व्यवस्था करें ताकि परीक्षार्थी प्रश्न से संबधित कोई सामग्री, मोबाईल आदि परीक्ष कक्ष में न ले जा सकें।

13. प्रायः यह देखा गया हैं कि कुछ वीक्षक ड्यूटी के समय मैग्जीन/ समाचार पत्र पढतें रहते हैं या परीक्षा कक्ष के द्वार पर खड़े रहते हैं एवं सतर्कता से नहीं घूमते है व वैसे ही बैठे रहते हैं, जो ड्यूटी के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आती हैं। यह भी देखा गया हैं कि कुछ प्रवक्ता वीक्षण आदि ड्यूटी के समय परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं चैक करते रहते हैं जो परीक्षा जैसे कार्य के समय घोर अनुशासनहीनता का घोतक हैं। आयुक्त कार्यालय/ विश्वविद्यालय की फ्लाईग स्कावड के द्वारा इस प्रकार की सूचना देने पर इसे गंभीरता से लिया जाये तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

14. कक्षा–कक्ष में ड्यूटी लगाते समय यह सुनिश्चित होना चाहिए कि यदि महाविद्यालय में व्याख्याताओं की संख्या कम है तो पर्यवेक्षक महाविद्यालय का व्याख्याता ही हो।

15. अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर विद्यार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।
    (अ) संबंधित छात्र के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों) की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत प्रक्रिया/कार्यवाही के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस स्टेशन में नियमानुसार एफ.आई.आर शीघ्र दर्ज करवाई जावें।
    (ब) वीक्षक के अतिरिक्त आन्तरिक या बाह्य उडन दस्ता /केन्द्राधीक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक/सहायक केन्द्राधीक्षक के द्वारा यदि कोई परीक्षार्थी खुले तौर पर सामूहिक रूप से अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये पकड़ा जाता हैं तो परीक्षा कक्ष में कार्यरत वीक्षक/वीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही कर आयुक्तालय को अवगत करावें।
    (स) छात्रों हेतु उक्त चेतावनी सूचना बोर्ड पर स्पष्ट व मोट–मोटे अक्षरों में लिखवावें।

16. परीक्षा से पूर्व इन सभी बिन्दुओं से संकाय सदस्यों को अवगत करावें तथा इन बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/परीक्षा/2010/56 दिनांकः 2 मार्च, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/ बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर/ जे.एन.वी. विश्वविद्यालय, जोधपुर/ एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
5. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर